न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
103 / 2023	08 / 12 / 2023	17 / 11 / 2025

1 गोविन्द नारायण पुत्र रामप्रताप जाति खाती निवासी खैडली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, R-T-Act

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खैडली बेरीसाल पटवार हल्का जोरावरपुरा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पीपल्दाकलॉ तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की खतौनी संख्या नयी 40 पुरानी 40 के खसरा नम्बर 713 रकबा 0.47 हैक्टेयर बारानी दोयम, खसरा नम्बर 714 रकबा–1.93 हैक्टेयर बारानी दोयम, कुल किता 2 कुल रकबा 2. 40 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो कि वादी के खाते दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के पिता स्व. रामप्रताप के स्थान पर सहवन से राजस्व रिकॉर्ड रामप्रसाद दर्ज हो गया जबकी वास्तविक नाम वादी के पिता की वल्दीयत् मे रामप्रसाद न होकर रामप्रताप दर्ज होना है जो कि राजस्व अधिकारियो द्वारा त्रुटिपूर्ण अंकन कर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दिया गया है जिसे संशोधित करवाने एवं दूरस्त करवाने हेतु तदर्थ वाद माननीय न्यायालय की सेवा मे प्रस्तुत है। वादी के पिता स्व. रामप्रताप ग्राम खैडली बैरीसाल तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० का स्थायी निवासी कृषक है। वादी का राशन कार्ड, परिचय पत्र, बैंक पासबुक, मतदाता सुची मे उसका वास्तविक नाम गोविन्दनारायण पुत्र रामप्रताप दर्ज हैं, जो कि राजस्व अधिकारियो के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड मे सहवन से गोविन्दनारायण पुत्र रामप्रसाद दर्ज कर कर दिया गया है। जिसे परिवर्तित करवाकर प्रविष्टिया को दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है। वादी को अपने पिता स्व. रामप्रताप के स्थान पर रामप्रसाद दर्ज रिकॉर्ड है प्रवष्टि गलत दर्ज होने से किसान कार्ड, सहकारी संस्था, आदि से ऋण लेने राजस्व जमा करवाने इत्यादि मे वादी को काफी असुविधाओ का सामना करना पड रहा है। जिसे दुरूस्त किये जाने हैतु तदर्थ वाद माननीय न्यायालय की सेवा मे प्रस्तुत है। तत्सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने बाबत् तहसीलदार महोदय पीपल्दा को अनेकानेक बार निवेदन करने के उपरान्त भी तहसीलदार द्वारा उक्त राजस्व प्रविष्टि को संशोधित नही किये जाने एवं अन्तिम बार गत् दिनांक 17–11–2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर वाद पत्र अविलम्ब माननीय न्यायालय की सेवा मे प्रस्तुत है। तहसीलदार महोदय द्वारा गत् दिनांक 17.11.2023 को न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हैतु निर्देशित किये जाने से वाद कारण लगातार उत्पन्न है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय का निर्णय मय डिक्री पारित फरमाया जावें कि वाद पत्र की मद नम्बर 01 में वर्णित कृषि आराजीयात् यह कि ग्राम खैडली बेरीसाल पटवार हल्का जोरावरपुरा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पीपल्दाकलॉ तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की खतौनी संख्या नयी 40 पुरानी 40 के खसरा नम्बर 713 रकबा 0.47 हैक्टेयर बारानी दोयम, खसरा नम्बर 714 रकबा 1. 93 हैक्टेयर बारानी दोयम, कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 हैक्टेयर भूमि मे राजस्व रिकॉर्ड मे हुई प्रवष्टि गोविन्दनारायण पुत्र रामप्रसाद की वल्दीयत् को विलोपित कर शुद्ध वल्दीयत् गोविन्दनारायण पुत्र रामप्रताप जाति खाती निवासी खैडली बेरीसाल दर्ज किया जावें । तदनुरूप संशोधित अकंन करने हेतु प्रतिवादी क्रम 01 तहसीलदार पीपल्दा को जरिये डिक्री आदेशित फरमाया जावें।

वादी की ओर वाद श्री प्रद्युम्न शर्मा एड० ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर तलबी प्रतिवादी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार प्राप्त जो अग्रलिखित है। राजस्व रिकॉर्ड एवं भू–निरीक्षक करवाड की जांच रिपोर्ट के आधार पर खाता सं0 39 ख0नं0 713 रकबा 0.47है0 में पूर्ण हिस्सा एवं खाता

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

सं0 338 में ख0नं0 714 रकबा 1.93है0 में वादी गोविन्द नारायण पुत्र रामप्रसाद का हि0 …27/1930 जाति खाती सा0 देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक भू–निरीक्षक करवाड की जाचं रिपोर्ट के अनुसार गोविन्द नारायण पुत्र रामप्रसाद जाति खाती एवं गोविन्द नारायण पुत्र रामप्रताप जाति खाती एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। वादी को दिनांक 21.12.1975 को मि0 नं0 134 से ख0नं0 191 मि0 रकबा 15 बीघा गोविन्द नारायण पुत्र रामप्रताप जाति खाती निवासी खेडली बेरीसाल को आवंटित हुई थी, लेकिन चौसाला जमाबन्दी लेखन के समय सवहन से वादी के पिता रामप्रताप के स्थान पर रामप्रसाद दर्ज हो गया है। अतः रामप्रसाद के स्थान पर रामप्रताप किया जाना उचित होगा। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व बहस के तथ्यों पर अवलोकन व मनन किया गया। अवलोकन व मनन के उपरान्त पाया कि वादी का राशन कार्ड, परिचय पत्र, बैंक पासबुक, मतदाता सुची में वादी का वास्तविक नाम गोविन्दनारायण पुत्र रामप्रताप दर्ज है तथा जवाब सरकार में भी रामप्रसाद के स्थान पर रामप्रताप किया जाना उचित बताया है।

अतः वादी का वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम खेडली बेरीसाल पटवार हलका जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा की खातौनी सं0 नयी 40 पुरानी 40 के खसरा नं0 713 रकबा 0.47है0 बारानी दोयम, ख0नं0 714 रकबा 1.93है0 बारानी दोयम, कुल किता 2 कुल रकबा 2.40है0 भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में हुई प्रविष्ट गोविन्दनारायण पुत्र रामप्रसाद के स्थान पर गोविन्दनारायण पुत्र रामप्रताप जाति खाती नि0 खेडली बेरीसाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– **हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0**

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
103 / 2023	08 / 12 / 2023	17 / 11 / 2025

1 गोविन्द नारायण पुत्र रामप्रताप जाति खाती निवासी खैडली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, R-T-Act

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री प्रद्युम्न शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खेडली बेरीसाल पटवार हलका जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा की खातौनी सं0 नयी 40 पुरानी 40 के खसरा नं0 713 रकबा 0.47है0 बारानी दोयम, ख0नं0 714 रकबा 1.93है0 बारानी दोयम, कुल किता 2 कुल रकबा 2.40है0 भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में हुई प्रविष्ट गोविन्दनारायण पुत्र रामप्रसाद के स्थान पर गोविन्दनारायण पुत्र रामप्रताप जाति खाती नि0 खेडली बेरीसाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 17.11.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर
फास्ट-ट्रेक इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)